फर्द अहकाम

बनाम प्रह्लाद

म न्यायालय — रमेशचन्द ACM चौमूं

क्रम संख्या 17/19 — प्रा.पत्र 09R13

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	13/10/23	वकील प्रार्थी उप० व प्रार्थी सं. 2 के जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया गया। अतः इनका जवाब बन्द किया जाता है। पत्रावली बास्ते बहस हेतु दिनांक 06/11/23 को पेश हो।	
	06/11/23	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 14/12/23 को पेश हो।	
	14/12/23	वकील प्रार्थी उप० व प्रार्थी सं. 2 अनुपस्थित है। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 29/1/24 को पेश हो।	
	29/01/24	वकील प्रार्थी उप० व प्रार्थी सं. 1 अनुपस्थित है। प्रा.पत्र 09R13 सपठित धारा 151 CPC पर बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। प्रा. पत्र का अवलोकन किया गया। प्रा. पत्र 09R13 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र [illegible] 13/06/16 व अन्तिम [illegible] को निरस्त किया [illegible] 10/17 वाद के क्रम: [illegible] के आदेश दिये जाते हैं। [illegible] निर्मल कुमार [illegible] प्रा.पत्र [illegible] कम है। तथा मूल वाद के [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Badgujar
Date: 2024.10.25 16:25:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
चौमूं (जयपुर)